(ग) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उक्त अभयारण्य संबंधी अधिसूचना को रद्द कराने में खान ठेकेदारों ने कोई साजिश की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) गुजरात सरकार ने अपनी दिनांक 27 जुलाई, 1993 की राजपत्र अधिसूचना सं॰ जी॰बी॰एन॰—16(93) डब्ल्यू॰एल॰पी॰/1092-2156/वी-2 के द्वारा अपनी कृषि, वन और सहयोग विभाग की दिनांक 14 अप्रैल, 1981 की अधिसूचना संख्या ए॰के॰एच॰/62/81 डब्ल्यू॰एल पी॰/1080/110872/पी 2 को रद्द कर दिया है जिसके द्वारा नारायण सरोवर वन्यजीव अभयारण्य के 765.79 वर्ग कि॰मी॰ क्षेत्र को डिनोटिफाई कर दिनांक 27 जुलाई, 1993 की अपनी अधिसूचना संख्या जी॰बी॰एन॰-17(93) डब्लयू॰एल॰पी॰ 1092-2156 वी-2 के द्वारा 94.87 वर्ग कि॰मि॰ आरक्षित वन क्षेत्र को चिंकारा वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है।

(ख) गुजरात सरकार ने इस अभयारण्य को डिनोटिफाई करने से पूर्व राज्य विधान मंडल का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है जैसा कि वन (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में उपबंधित है। यदि उसकी कानूनी स्थिति अपरिवर्तित रहती है तो किसी वन्यजीव अभयारण्य को डिनोटिफाई करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने यह मामला गुजरात सरकार के साथ उठाया है। इसी बीच यह मामला गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया है और न्यायाधीन है।

देश में पर्यावरण संबंधी सुधार और वन विकास हेतु विदेशी सहायता

7648. **श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या पर्यवरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विदेशी सहायता से शुरु की गई पर्यावरण संबंधी सुधार और वन-विकास संबंधी परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

(ख) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक देश द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) किन-किन अन्य देशों ने इस प्रयोजनार्थ सहायता उपलब्ध कराने हेतु अपनी रुचि दिखाई है और प्रस्तावित सहायता राशि का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) पर्यावरण सुधार और वन विकास, इस संबंध में हुई प्रगति तथा विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रतिबद्ध वित्तीय सहायता से संबंधित चालू परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे में दिए गए हैं। [देखिए परिशिष्ट 170, अनुपत्र संख्या 146]

(घ) पर्यावरण और वानिकी क्षेत्रों में यह सहायता विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों से प्राप्त की जाती है। युनाइटेड किंग्डम, नार्वे, कनाडा, स्वीडन, जर्मनी, जापान, संयुक्त राज्य अमरीका, नीदरलैण्ड्स उन देशों में हैं जिनकी सहायता से परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं तथा नई परियोजनाओं के संबंध में बातचीत चल रही हैं। इसी प्रकार, विश्व बैंक तथा विश्व पर्यावरण सुविधा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की कैपेसिटी 21 और मांट्रियल प्रोटोकोल की बहुपक्षीय निधि जैसी अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं ने पर्यावरण और वानिकी के क्षेत्रों में ऋण और अनुदान दोनों के द्वारा परियोजनाओं का वित्तपोषण किया है।

मध्य प्रदेश में जंगली हाथियों द्वारा लोगों की हत्या किया जाना

7649. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के रायगढ़ और सरगुजा क्षेत्रों में जंगली हाथियों द्वारा मचाए गये उत्पात के कारण कुछ व्यक्ति, हताहत हो गये थे और इस उत्पात में कुछ व्यक्ति मारे भी गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कोई उपाय किये हैं और इन हादसों में कितने परिवारों को क्षति पहुंची है;

(घ) क्या सरकार ने मारे गये और हताहत व्यक्तियों के परिवारों को कोई पर्याप्त मुआवजा राशि दी है अथवा देने का विचार रखती है;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने इन परिवारों को दी जाने वाली मुआवजा-राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है अथवा लेने का विचार रखती है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार ने इसके लिये कितनी धनराशि निर्धारित की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ङ) 1994 के आरम्भ से, मध्य प्रदेश के रायगढ़ और सरगुजा क्षेत्रों में जंगली हाथियों द्वारा उपद्रव मचाने, मनुष्यों की आहत करने या मारने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, 1988-89 से दिसम्बर, 1993 की पिछली अवधि के दौरान, जंगली हाथियों द्वारा 41 व्यक्ति मारे गये, 15 घायल किए गए तथा फसल और सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के 6028 मामलों की सूचना दी गई थी। सरकार ने प्रभावित परिवारों को, क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 61,85,548/- रुपये की धनराशि का भुगतान किया है, जिसमें से 4,20,300/- रुपये नुकसान और जन हानि के लिये तथा 57,65,248/- रुपये फसल और सम्पत्ति के नुकसान के लिये दिए गए।

सरकार ने उत्पात मचाने वाले, ऐसे सभी हाथियों को पकड़ लिया है और इस प्रकार की घटनाओं को सफलतापूर्वक रोक दिया है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

Specific Programmes to Improve Forest Wealth

7650. SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government are taking specific programmes to be implemented to improve forest wealth;

(b) what are the checks and balances apart from the regular laws of the country;

(c) whether Government would allot Government Peramboke lands for afforestation; and

(d) if so, what are the norms followed therein?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) In order to improve the forest wealth, a massive programme of afforestation including Social and Farm Forestry under the 20-point-Programme is under implementation in all the States/Union Territories.

(b) A monitoring mechanism has been evolved with the involvement of independent agencies including Non-Governmental organisations to get the feedback regarding progress and performance of afforestation being carried out under the 20-point programme.

(c) and (d) In order to bring more area under tree cover for eco-restoration and conservation of bio-diversity, efforts are being made by the Government to bring all types of available land including Government Peramboke lands under the tree cover.

Effects of toxic chemicals on the marine life in Gujarat and Maharashtra

7651. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) Whether Government have decided to reassess the toxic effects of chemicals used for neutralizing oil slicks on the marine life particularly in Gujarat and Maharashtra States;

(b) Whether Government contemplate to intensify the research and development work in finding zero demaging or less demaging chemicals to meet such a situation;

(c) If so, the details thereof; and

(d) If not, the measures taken to save marine life from toxic effects of such chemicals?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) to (c) The dispersants used by the Coast